

कार्यालय, अंचल अधिकारी, लातेहार।

आदेश

वाद संख्या 44/16

दिनांक 11/02/23

यह वाद पूर्व से राजस्व इ-न्यायालय पोर्टल पर लंबित प्रदर्शित हो रहा है इस वाद से सम्बंधित विवरणी अंचल कार्यालय में उपलब्ध सिंधि जमाबंदी पंजी में दर्ज नहीं है और ना ही इससे सम्बंधित अभिलेख कार्यालय में संधारित है।

अतः ऐसी परिस्थिति में तत्काल उक्त वाद की कार्रवाई राजस्व इ-न्यायालय पोर्टल पर बंद की जाती हैं।


अंचल अधिकारी,
लातेहार।